न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 219/2013

वादीगण :-

1. पूनाराम पुत्र मंगलाराम
   जाति-जाट, निवासी-केकिन्दड़ा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. इब्राहिम खां पुत्र बाबू खां
   जाति-सिन्धी मुसलमान
   निवासी-केकिन्दड़ा,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
   अधिकारी जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.06.08.2013

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 13/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण संख्या 01 की कब्जा काश्त की भूमि सरहद मौजा-केकिन्दड़ा, पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 13-14 बीघा, खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 3-02 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 5-01 बीघा, खसरा नम्बर 78 रकबा 03-13 बीघा, खंसरा नंबर 83 रकबा 04-10 बीघा, खसरा नंबर 84 रकबा 0-08 बीघा, खसरा नम्बर 85 रकबा 3-16 बीघा, खसरा नम्बर 85/1 रकबा 0-01 बीघा, कुल खसरा -09 कुल रकबा 34-06 बीघा में से 194/686 1/2वां हिस्सा की भूमि आई हुई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 75 रकबा 2-13 बीघा में प्रतिवादीगण संख्या 01 रेकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार था। नकल चालू जमाबंदी इस वाद-पत्र के साथ पेश की है। इस भूमि को आगे वाद-पत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। प्रतिवादीगण संख्या 01 ने अपने स्वयं की व अपने परिवार की जायज जरूरत हेतु अपनी उक्त खातेदारी जमीन वादी को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख के दिनांक 28/09/2012 को बेचान कर दी थी। नकल पंजीबद्ध बेचाननामा की प्रमाणित प्रति इस वाद-पत्र के साथ पेश की है। वक्त बैचान के ही इस भूमि पर कब्जा भी प्रतिवादीगण संख्या 01 ने वादी को सौंप दिया था। प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा वादी को उक्त जमीन बेचान किये जाने के उपरान्त इस भूमि के सहहिस्सेदार अकबर पुत्र बाबू खां ने इस वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 83/1 रकबा 2-16 बीघा, खसरा नम्बर 75 रकबा 2-13 बीघा के बाबत एक वाद-पत्र बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अदालत हाजा के समक्ष पेश किया था उक्त वाद-पत्र के साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था, जो प्रार्थना पत्र संख्या 193/12 दिनांक 04/10/2012 को दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 75 के बाबत् राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश की नकल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सम्बन्धित हल्का पटवारी को दी जाने पर हल्का पटवारी ने वादी के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध बेचान की सम्पूर्ण भूमि की नामान्तरणकरण की कार्यवाही को रोक दिया । जबकि न्यायालय द्वारा स्थगन केवल खसरा नम्बर 75 की भूमि पर हि दिया गया है। शेष भूमि पर कोई स्थगन जारी किया हुआ नही हैं। परन्तु इस खसरा नम्बर 75 की आड में माफिक बेचान के वादी के पक्ष में नामान्तरणकी कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी दौरान सहहिस्सेदार अकबर खां वगैरह प्रतिवादीगण संख्या 01 को भी अपने बहकावे में ले रहे हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा वादी को बेचान की गई जमीन का दुबारा बेचान अपने नाम करवाना चाह रहे है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी को बेचान की जा चूकी है। केवल न्यायालय के स्थगन की वजह से नामान्तरकरण की कार्यवाही होना शेष हैं व राजस्व रेकर्ड में अभी तक प्रतिवादीगण संख्या 01 का नाम ही दर्ज हैं, जिसे जरिये घोषणा के हटाया जाकर माफिक पंजीबद्ध बेचान के प्रतिवादीगण संख्या 01 की बजाय वादी के नाम दर्ज की जाना आवश्यक हैं। इसलिये वादपत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 01 वादग्रस्त भूमि को बेचान की जा चुकी है। न्यायालय के स्थगन की वजह से अभी तक नामान्तरण की कार्यवाही नही हुई है व भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। प्रतिवाादीगण की नियत अब बद हो रही हैं। वे इस आराजी को जरिये रहन, बेचान वसीयत के अजनबी केताओं को अन्य हस्तान्तरण करने को केवल अपना ना होने के आधार पर आमादा है। दिनांक 29/07/2013 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानिया कथन किया कि उक्त पूरी जमीन हमारे नाम हैं। इस वर्ष हम तुम्हे फसल बौकर काश्त नही करने देंगे। प्रतिवादीगण संख्या 01 बदमाश प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो जबरदस्ती वादी के हक हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण ने वादी के हक हिस्से की आराजी से वादी को बेदखल कर उक्त भूमि को अन्य हस्तान्तरण व बेचान कर दिया तो वादी उनको ऐसा हरगिज नही करने देंगे। जिससे मौके पर विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी एवं वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नही किया जा सकता है। इसलिये यह वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 02 तहसीलदार एंव उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण जो कि भूमिधारी राजस्थान के प्रतिनिधि है। जिन्हें इस वाद-पत्र में पक्षकार बनाया गया हैं जिनके विरूद्ध वाद-पत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। तब तक वादी के वादपत्र पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद-पत्र श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। बिनायवाद दिनांक 29/07/2013 को प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा वादी को उनके हक हिस्से की खरीदसुदा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने व भूमि को अजनबी केताओं रहन, बेचान व अन्य हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-केकिन्दडा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं। जो अन्दर ग्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हेतु विचाराधीन हैं। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या 2 स्वयं राजस्व शिविर में उपस्थित हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने जाहिर किया कि इस प्रकारण में किसी तरह का अनुतोष नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को पंजीयन दस्तावेज के अनुसार मौजा-केकिन्दड़ा की जमीन का बेचान दिनांक 28/09/2012 को किया गया था। मजमा-ए-आम में प्रतिवादी स्वयं उपस्थित होकर वादी को बेचान स्वीकार किया हैं। माफिक राजीनामा के वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-केकिन्दड़ा, पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 13-14 बीघा, खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 3-02 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 5-01 बीघा, खसरा नम्बर 78 रकबा 03-13 बीघा, खसरा नंबर 83 रकबा 04-10 बीघा, खसरा नंबर 84 रकबा 0-08 बीघा, खसरा नम्बर 85 रकबा 3-16 बीघा, खसरा नम्बर 85/1 रकबा 0-01 बीघा, कुल खसरा -09 कुल रकबा 34-06 बीघा में प्रतिवादी के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी तरह खसरा नम्बर 75 रकबा 2-13 बीघा में प्रतिवादी के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-केकिन्दड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. पूनाराम पुत्र मंगलाराम
जाति-जाट, निवासी-केकिन्दड़ा
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. इब्राहिम खां पुत्र बाबू खां
जाति-सिन्धी मुसलमान
निवासी-केकिन्दड़ा,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:219/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-केकिन्दड़ा, पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 13-14 बीघा, खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 3-02 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 5-01 बीघा, खसरा नम्बर 78 रकबा 03-13 बीघा, खसरा नंबर 83 रकबा 04-10 बीघा, खसरा नंबर 84 रकबा 0-08 बीघा, खसरा नम्बर 85 रकबा 3-16 बीघा, खसरा नम्बर 85/1 रकबा 0-01 बीघा, कुल खसरा -09 कुल रकबा 34-06 बीघा में प्रतिवादी के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी तरह खसरा नम्बर 75 रकबा 2-13 बीघा में प्रतिवादी के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ...-...मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		-	मुत्फरिक		
मिजानः-	06	-00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner